

कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम (म0प्र0)

//परिपत्र//

क्रमांक 23 / दो-12-5 / 1987

नर्मदापुरम दिनांक 05 / 08 / 2026

प्रायः यह देखा गया है कि जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय में पदस्थ न्यायाधीशगण द्वारा सिविल प्रकरणों में निर्णय पारित किये जाते हैं एवं निर्णय पारित करने के पश्चात् तीन दिन बाद आज्ञाप्ति तैयार की जाती है सी.आई.एस. में निर्णय की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति अपलोड की जाती है, किंतु आज्ञाप्ति को डिजिटल हस्ताक्षर कर अपलोड नहीं किया जाता है एवं अभिलेख अभिलेखागार में जमा कराया जाता है। जिससे संबंधित निर्णय एवं आज्ञाप्ति की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु प्रतिलिपि अनुभाग में आवेदन प्राप्त होने पर सीधे ही सी.आई.एस. से निर्णय एवं आज्ञाप्ति की प्रति प्राप्त कर सत्यापित कर प्रदान की जाना संभव नहीं होता एवं संबंधित अभिलेख को अभिलेखागार से बुलाना पड़ता है।

अतः समस्त पीठासीन अधिकारीगण से यह अपेक्षा है कि सिविल प्रकरणों में निर्णय एवं आज्ञाप्ति की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रति अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

उक्त परिपत्र का कड़ाई के साथ पालन किया जावे।

Sc/
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम(म0प्र0)

3521
पृ0क्रं0 _____ / दो-12-5 / 1987

नर्मदापुरम दिनांक 05 / 08 / 2026

प्रतिलिपि यथानिर्देश:-

- 1- समस्त न्यायाधीशगण, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया की ओर प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार प्रस्तुतकार को निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 2- प्रभारी अधिकारी, प्रतिलिपि अनुभाग/अभिलेखागार अनुभाग, नर्मदापुरम/इटारसी/सिवनी मालवा/सोहागपुर/पिपरिया की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 3- प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ।
- 4- प्रस्तुतकार, न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 5- जूनियर सिस्टम एनालिस्ट की ओर ईमेल पर अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।

[Signature]
वास्ते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नर्मदापुरम(म0प्र0)